ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाना

लेखक- टीवी नरेंद्रन (अध्यक्ष, सीआईआई)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

18 अक्टूबर, 2021

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 एक गेम-चेंजर है।

भारत जैसे ऊर्जा पर निर्भर देश में विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किफायती दरों पर ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। लेकिन ऊर्जा क्षेत्र कई समस्याओं से घिरा है। वितरण क्षेत्र लंबे समय से बिजली-क्षेत्र का अभिशाप रहा है। महंगे एवं दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों, खराब बुनियादी ढांचे, अक्षम संचालन और राज्य-स्तरीय टैरिफ नीतियों में लीकेज जैसी समस्याओं के कारण लगातार भारी नुकसान हो रहा है। अधिकांश डिस्कॉमस खतरे में हैं क्योंकि उच्च ***कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी)*** नुकसान उनके राजस्व को कम कर रहे हैं।

राज्य के एकाधिकार को खत्म करना

इस पृष्ठभूमि में, 2020 का विद्युत (संशोधन) विधेयक एक 'गेम-चेंजिंग सुधार' है। विधेयक के व्यापक प्रावधान राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने के बाद बिजली वितरण को *लाइसेंस मुक्त करने की प्रक्रिया* निर्धारित करेंगे।

यह उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता चुनने का विकल्प प्रदान करेगा, अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को स्विच करेगा और वितरण में निजी कंपनियों के प्रवेश को सक्षम करेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। वास्तव में, दिल्ली में डिस्कॉम के निजीकरण ने एटी एंड सी घाटे को 2002 में 55% से घटाकर 2020 में 9% कर दिया है।

खुले बाज़ार से बिजली खरीदने के लिए *ओपन-एक्सेस* राज्यों में लागू किया जाना चाहिए और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज और राज्यों द्वारा लागू किए जा रहे बिजली शुल्क के रूप में बाधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। डिस्कॉम और नियामकों को ओपन एक्सेस के उचित कार्यान्वयन के लिए एक सहमति पर लाया जाना चाहिए, जो उपभोक्ताओं को अपने डिस्कॉम को चुनने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करेगा जैसे वे दूरसंचार प्रदाताओं को चुनने में सक्षम हैं।

अगर बिजली क्षेत्र को मजबूत करना है तो टैरिफ के सवाल पर फिर से विचार करने की जरूरत है। टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के साथ शुरू करने के लिए प्रतिबिंबित होना चाहिए और अंततः एक परिभाषित समय सीमा में ग्राहक श्रेणी-वार आपूर्ति की लागत पर किया जाना चाहिए। इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी।

यह तब होगा जब डिस्कॉम को स्वायत्त बनाया जाएगा और नियामक प्राधिकरणों द्वारा राज्यों के हस्तक्षेप के बिना टैरिफ को संशोधित करने की अनुमति दी जाएगी।

जीएसटी की कम दर के साथ विद्युत ऊर्जा को जीएसटी के तहत कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली जनरेटर/ट्रांसमिशन/वितरण उपयोगिताओं के लिए इनपुट क्रेडिट का रिफंड प्राप्त करना संभव हो जाएगा, जिससे बिजली की लागत कम हो जाएगी। समस्या के अन्य उपायों में '***स्मार्ट मीटर और स्मार्ट ग्रिड***' की स्थापना जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग शामिल है जो *एटीएंडसी* के नुकसान को कम करेगा और क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को बहाल करेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक प्रयास

नवीकरणीय ऊर्जा जो हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, को प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। इसमें एक विकल्प '*रूफ-टॉप सोलर प्लांट*' को भी प्रोत्साहित करना है। अपने अंतर्निहित लाभों के बावजूद, इस क्षेत्र ने आज की तारीख में 5-6 GW की अनुमानित स्थापित क्षमता के साथ अपेक्षाकृत धीमी प्रगति दिखाई है, जो 2022 के लक्ष्य से काफी कम है।

विधेयक की एक और स्वागत योग्य विशेषता इस क्षेत्र के नियामक ढांचे को मजबूत करना है। यह प्रत्येक विद्युत नियामक आयोग में एक कानूनी पृष्ठभूमि वाले सदस्य को नियुक्त करके और बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करके किया जाएगा। यह लंबे समय से लंबित मुद्दों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करेगा और कानूनी बाधाओं को कम करेगा।

यह विधेयक अक्षय-ऊर्जा की खरीद एवं दायित्वों के गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रस्ताव करके हरित ऊर्जा के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों को अक्षय और जल स्रोतों से उत्पादित बिजली की एक निर्दिष्ट मात्रा की खरीद को अनिवार्य करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत धीरे-धीरे गैर-जीवाश्म ईंधन की ओर बढ़े जिससे उसे अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिले।

विधेयक की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे बिजली खरीद समझौते के तहत संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति की निगरानी के लिए एक विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण का निर्माण, लागत प्रतिबिंबित टैरिफ और डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का प्रावधान सराहनीय है। इस विधेयक का शीघ्र पारित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह वितरण क्षेत्र में दक्षता और लाभप्रदता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार लाने में मदद करेगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. इसमें बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत किया जाएगा।
2. इसमें डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथन में कौन सा/ से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 एवं 2 दोनो **(d)** न तो 1 न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements with reference to the Electricity (Amendment) Bill, 2020 -

1. In this, the Appellate Tribunal for Electricity will be strengthened.
2. In this subsidy has been made through DBT.

Which of the above statement is/are true?

(a) 1 Only **(b)** Only 2

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत मे बिजली के वितरण में व्याप्त समस्या, नियामक प्राधिकरण में व्याप्त अत्यधिक हस्तक्षेप एवं डिस्कॉमस के घाटे की प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।

(250 शब्द)

Q. Mention the salient features of the Electricity (Amendment) Bill, 2020 in the backdrop of the problem of distribution of electricity in India, excessive interference in the regulatory authority and deficit trend of discoms.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।